



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.ida.urban.rajasthan.gov.in](http://www.ida.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-12/2025/डी-

3592

दिनांक 9/5/25

मैसर्स केडिया बिल्डर्स एण्ड कालोनाईजर्स प्रा.लि.

जरिये निदेशक श्री गौरव केडिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार केडिया

निवासी ए-6 से ए-10, श्याम नगर, बैनाड रोड,

नाडी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर

विषय:-ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी के खसरा नम्बर 582, 583 व 973/584 कुल किता 3 कुल रकबा 1.9543 हैक्टर में आवासीय योजना "केडियाज अतुल्यम" के 12.5% भूखण्ड रहन मुक्त करने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा आवेदित प्रकरण में ग्राम राजावास तहसील रामपुरा डाबडी के खसरा नम्बर 582, 583 व 973/584 कुल किता 3 कुल रकबा 1.9543 हैक्टर में आवासीय योजना "केडियाज अतुल्यम" के विकास कार्य के पेटे रहन में रखे 12.5% भूखण्ड संख्या 22, 73, 74, 77 से 87 कुल भूखण्ड 14 क्षेत्रफल 1565.85 वर्गमीटर रहन मुक्त किये जाने बावत निवेदन किया गया है जिसमें परीक्षण पश्चात् योजना में विकास कार्य पूर्ण किये जाने पर रहन में रखे भूखण्ड संख्या 22, 73, 74, 77 से 87 कुल भूखण्ड 14 क्षेत्रफल 1565.85 वर्गमीटर को रहन मुक्त किया जाता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन-12

जयपुर विकास  
प्राधिकरण,

जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena

Designation: Deputy Commissioner

Date: 2025.05.01 10:41:23 IST

Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर नगर, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

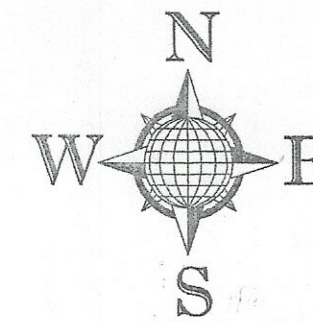
# PROPOSED LAYOUT PLAN OF " KEDIA'S ATULYAM "

UNDER KHASRA NO.- 582, 583, 973/584.

AT REVENUE VILLAGE - RAJAWAS, TEH.- RAMPURA DABRI, JAIPUR

SCALE 1:500

1520  
8  
11.2.25

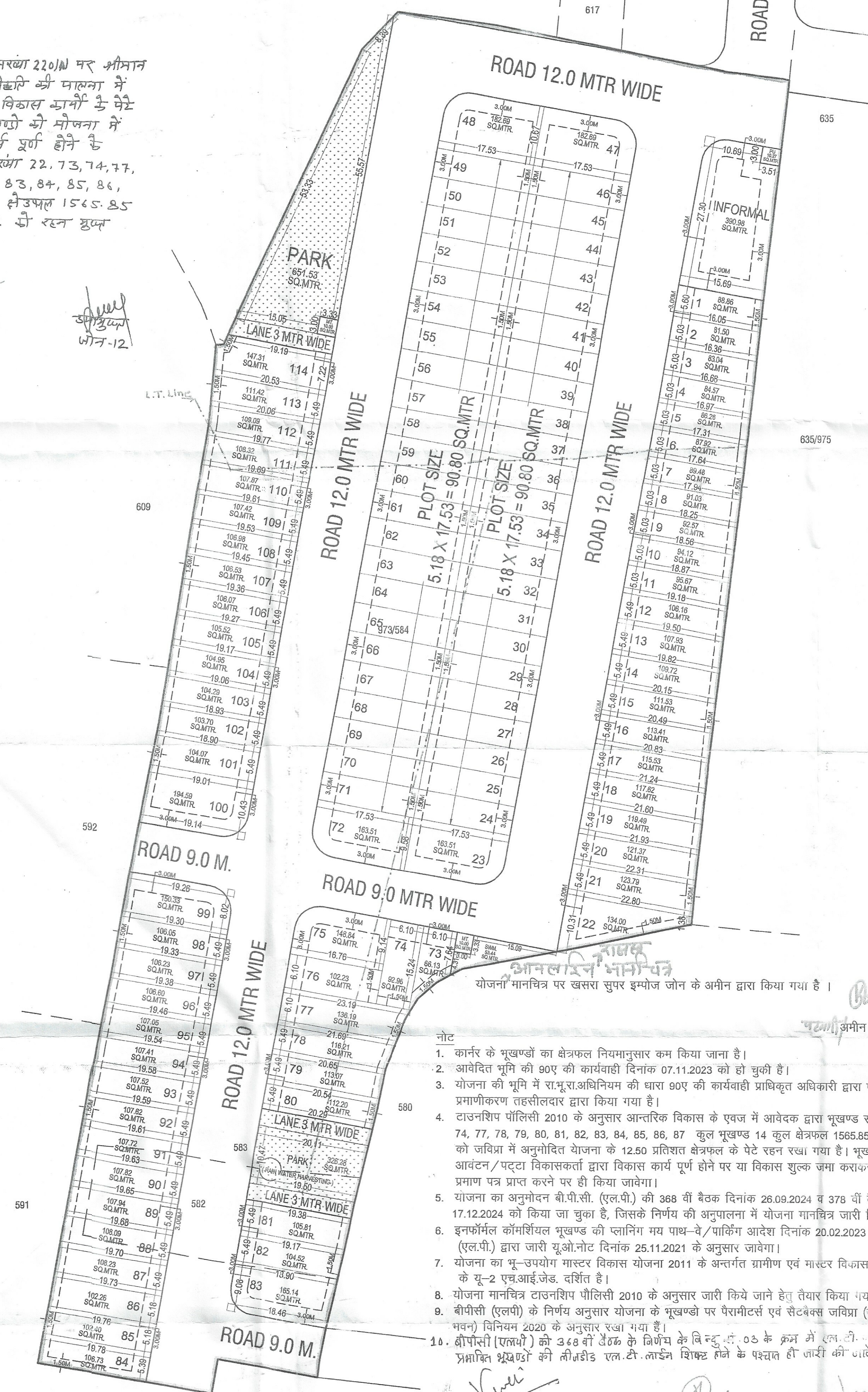


नोट:-

मूल फाणसी के पैरा सरखा 220/M पर भीमान  
उपायुक्त नदीयम की स्वीकृति की मांगना में  
मौजना में आन्तरिक विकास मार्ग के घेरे  
रहन में रखे गये भूखण्डों की मौजना में  
आन्तरिक विकास मार्ग पूर्ण होने के  
मालखरूप भूखण्ड सरखा 22, 73, 74, 77,  
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,  
87, कुल भूखण्ड 14 हीउपल 1565.85  
व.मी. सम्पूर्ण 12.54 की रहन छुप्प  
बिमा जारा है।

सहायक नगर नियोजक  
जोन-12

सहायक नगर नियोजक  
जोन-12



योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

नोट

- कार्कर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 07.11.2023 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.मू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 22, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 कुल भूखण्ड 14 कुल क्षेत्रफल 1565.85 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के घेरे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 368 वीं बैठक दिनांक 26.09.2024 व 378 वीं बैठक दिनांक 17.12.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग गय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के यू-2 एच.आई.जेड. दर्शित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पेरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन नवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।
- बीपीसी (एल.पी.) की 348 वीं बैठक के निर्णय के बिन्दु 0.3 के क्रम में एल.टी. लाईन के प्रभावित भूखण्डों की लीमिटीड एल.टी. लाईन शिफ्ट होने के पश्चात ही जारी की जावे।

सहायक नगर नियोजक  
जोन-12

तहसीलदार  
जोन-12

सहायक नगर नियोजक  
जोन-12

II. प्रधानगता प्रकरण के रकसों का भीमान जोन की राजस्व शाखा के अधिकारियों द्वारा बिमा जमा हो जविप्रा में बिम्बी प्रकाश की विशंगति होने पर मास्टर वापिलव राजस्व शाखा के अधिकारियों का होगा।

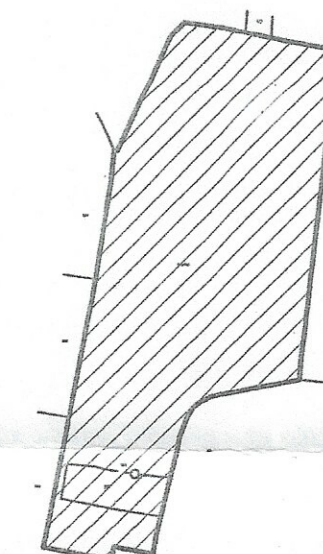
CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.  
301, Third Floor Prism Tower,  
Front of Police Head Quarters,  
1st Kothi Tank Road, JAIPUR  
Mobile No. 9829045031

सहायक नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक  
बी.पी.सी. (एल.पी.)

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सुचक



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग  
आवसीय भूखण्डों के निर्माण स्थिति :-  
1. कुल आवसीय भूखण्ड = 114  
2. कुल भूखण्ड = 01

## AREA ANALYSIS :-

| S.No.            | LAND USED   | AREA IN (SQ.MTR.) | (%)      |
|------------------|-------------|-------------------|----------|
| 1                | RESIDENTIAL | 11866.73          | 60.72 %  |
| 2                | INFORMAL    | 390.98            | 02.00 %  |
| TOTAL = (1+2)    |             | 12257.71          | 62.72 %  |
| 3                | PARK        | 977.81            | 05.00 %  |
| 4                | S.W.M.      | 53.44             | 00.27 %  |
| 5                | MT.         | 20.00             | 00.10 %  |
| 6                | PU.         | 10.27             | 00.05 %  |
| 7                | ROAD        | 6223.77           | 31.86 %  |
| TOTAL = (3 TO 7) |             | 7285.29           | 37.28 %  |
| SCHEME AREA      |             | 19543.00          | 100.00 % |

योजना की भूमि की रा.मू.रा. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणिकरण के हेतु किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार नाम उपायुक्त जोन-12

बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम :- PROPOSED LAYOUT PLAN OF "KEDIA'S ATULYAM" UNDER KHASRA NO.- 582, 583, 973/584 AT REVENUE VILLAGE - RAJAWAS, TEH.- RAMPURA DABRI, JAIPUR

जोन संख्या = पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक अति.सहायक नगर नियोजक वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर विकास प्राधिकरण